**Title: Need to include marble industry in the category of Small Scale Industry in Rajashtan-Laid.**

**प्रो. रासिंह रावत (अजमेर) :** सरकार की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्योगों का चयन करके एक सूची तैयार की जाती है और उन उद्योगों में से लघु उद्योग इकाइयों को उत्पाद शुल्क में रियायत (छूट) प्रदान की जाती है, जिनकी वार्षिक बिक्री एक करोड़ रूपये से कम होती है। घोर अकाल से ग्रसित राजस्थान में वर्तमान में एकमात्र लघु उद्योग मार्बल उद्योग ही एक मात्र सहारा है जिनकी हजारों इकाइयों में लाखों श्रमिक रोटी-रोजी का सहारा पाते हैं। परन्तु, राजस्थान के मार्बल उद्योग को लघु उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि ग्रेनाइट उद्योग को लघु उद्योग में सम्मिलित कर उत्पाद शुल्क में रियायतें प्रदान की गई हैं। मार्बल की अपेक्षा ग्रेनाइट अधिक महंगा, आकर्षित एवं लग्जरी खनिज है और मार्बल की तुलना में अधिक मूल्य पर विक्रय किया जाता है जबकि मार्बल बहुत कम मूल्य पर विक्रय किया जाता है और इसका औसतन मूल्य 5/- से 40, 45/- प्रति वर्ग फुट तक का होता है जबकि ग्रेनाइट का 50 से 70/-प्रति वर्ग फुट होता है। इसे लघु उद्योग की उत्पाद शुल्क से मुक्त करने वाली सूची में सम्मिलित नहीं करने से इसके व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि मार्बल उद्योग के अस्तित्व को बचाये रखने हेतु इसे लघु उद्योग में सम्मिलित कर उत्पाद शुल्क से मुक्त करें।